शीर्ष प्राथमिकता

संख्याः 3007 /77-4-23-22एन/20

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

2 प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य सेतु निर्माण निगम,
लखनऊ

औद्योगिक विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 14 जून, 2023

विषयः-चिल्ला रेगुलेटर, दिल्ली (निकट मयूर विहार), सेक्टर-14ए से एम0पी0-3 रोड (महामाया फ्लाई ओवर) नोएडा को जोडने हेतु शाहदरा ड्रेन के किनारे रोड के कार्य हेतु प्रस्तावित परियोजना/वित्तीय स्वीकृति पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नौएडा के पत्र संख्याः-नौएडा/मु.का.अ./2023/783, दिनांक 13.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उक्त परियोजना का आगणन/डी.पी.आर. उपलब्ध कराते हुए आगणित धनराशि का 50 प्रतिशत नोएडा द्वारा वहन किए जाने तथा शेष 50 प्रतिशत की धनराशि राज्य सरकार से नोएडा के पक्ष में अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में चिल्ला रेगुलेटर, दिल्ली (निकट मयूर विहार), सेक्टर-14ए से एम0पी0-3 रोड (महामाया फ्लाई ओवर) नोएडा को जोडने हेतु शाहदरा ड्रेन के किनारे रोड के कार्य हेतु प्रस्तावित परियोजना हेतु धनराशि रू0 78731.82 लाख पर अनुमोदन प्रदान करते हुए उक्त आगणन के सापेक्ष एम0ओ0यू0 की शर्तों के अनुसार उक्त परियोजना के निर्माण हेतु 50 प्रतिशत धनराशि रू0 39365.91 लाख (तीन सौ तिरानवे करोड़ पैंसठ लाख इक्यानवे हजार) का प्राविधान भारत सरकार की 'Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2023-24 के भाग-1 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कराए जाने का निर्णय लिया गया है। शेष 50 प्रतिशत धनराशि का वहन नोएडा द्वारा किया जाएगा।

3. प्रायोजना का ओवरआल सुपरविजन नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का होगा तथा प्रायोजना का कार्य उ०प्र० राज्य सेतु निगम द्वारा निविदा आमंत्रित करते हुए निष्पादित कराया जायेगा तथा सेतु निगम द्वारा यह कार्य डी०सी०यू० पैटर्न पर नहीं किया जायेगा।

4. नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

5. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। नोएडा विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।

6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/नौएडा का होगा।

7. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

8. आर०ओ०बी० निर्माण की जी०ए०डी०, लम्बाई / चौड़ाई में परिवर्तन, आर०ई० वाल एबेटमेन्ट आदि में परिवर्धन / परिवर्तन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

9. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार सागर)
प्रमुख सचिव।